

न्यायालय : धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला

जिला बैतूल (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्र. : 306/2013

संस्थित दिनोंक : 29-08-2013

F.No.85/2013

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र—आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — —

अभियोजन

:: वि रू द्ध ::

केदारनाथ पिता कहु कवड़े उम्र 41 वर्ष,
निवासी हमलापुर, तहसील आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — —

अभियुक्त

उपस्थिति में :

राज्य द्वारा श्री परते एडीपीओ।

अभियुक्त द्वारा श्री कल्पेश माथनकर, अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

(आज दिनोंक : 13.06.2018 को घोषित)

1. अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 23.04.13 को समय शाम 7.00 बजे करीब स्थान मलकापुर एवं किल्लोद के बीच रास्ते पर आमला रोड में अंतर्गत थाना आमला स्थित लोकमार्ग पर वाहन जीप क्र. एमपी-48, डी-0154 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं इसी प्रकार उक्त वाहन से संजय की मोटर सायकल को टक्कर मारकर संजय, नान्हूं एवं लक्ष्मी बाई को गिराकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की, उक्त सभी कृत्य धारा 279,338 (तीन बार) भा0दं0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.04.13 को पुलिस चौकी अस्पताल बैतूल में सूचनाकर्ता संजय ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम बोरदेही में रहता है। शाम करीब 6.30 बजे लगभग बैतूल से अपने पिता नान्हूं एवं माँ लक्ष्मी बाई के साथ मोटर सायकल से तीनों नरेरा वापस जा रहे थे, मोटर सायकल वह स्वयं चला रहा था कि करीबन 7.00 बजे शाम जैसे ही मलकापुर एवं किल्लोद के बीच रास्ते पर पहुंचे कि सामने से एक जीप को उसके चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया ओर मोटर सायकल को टक्कर मार दी जिससे वे तीनों गिर गये और गिरने से उसे दाहिने हाथ की कलाई एवं पैर पर चोट आयी, उसके पिता को दाहिने पैर में चोट आयी, माँ लक्ष्मी बाई को कमर में अंदरूनी चोट आयी, जहां भीड़ जमा हो गयी, एम्बुलेंस आयी और उनको अस्पताल लेकर आई, ईलाज चल रहा है, घटना आने जाने वालों ने देखी है जीप का नंबर नहीं देख पाया था रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण अप.क्र.044/13 पर अज्ञात जीप चालक के विरुद्ध दर्ज किया गया पश्चात् में मामला आमला थाना क्षेत्र से संबंधित होने के कारण प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु आमला थाना भेजा गया जहां पर मामले की प्रथम सूचना क्र. 98/13 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षियों के कथन, मौका नक्शा एवं जप्ती, गिरफ्तारी कार्यवाही करने के पश्चात् विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279,338(तीन बार) भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित किए गए, जिसमें अभियुक्त ने अपराध करने से इंकार करते हुये विचारण की मांग की।

4. प्रकरण के उचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदु निर्मित किए गए :—

1. क्या अभियुक्त केदारनाथ ने दिनांक 23.04.13 को समय शाम

7.00 बजे करीब स्थान मलकापुर एवं किल्लोद के बीच रास्ते पर आमला रोड में अंतर्गत थाना आमला स्थित लोकमार्ग पर वाहन जीप क्र. एमपी-48, डी-0154 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन से संजय की मोटरसायकल को टक्कर मारकर संजय, नान्हूं एवं लक्ष्मी बाई को गिराकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की?

विचारणीय बिन्दु कं0-1, 2 का सकारण निष्कर्ष

5. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों में पुनरावृत्ति ना हो। सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर साक्ष्यजनित अन्योश्रित हैं ।

6. अभियोजन की ओर से परीक्षित आहत साक्षीगण संजय नागले असा.1, नान्हूं नागले असा.2, लक्ष्मीबाई नागले असा.3 ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक से लगभग दो वर्ष पुरानी होकर मालकापुर एवं किल्लोद के बीच मेन रोड के शाम 6 बजे के बीच की है घटना के समय वे बैतूल से ग्राम नरेरा जा रहे थे। घटना के समय मोटर सायकल में तीन लोग आहत संजय अ.सा. 1, नान्हूं अ.सा.2 और लक्ष्मी बाई अ.सा.3 बैठे थे, जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो एक जीप वाले ने जीप को बहुत तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर सायकल को टक्कर मार दी वे तीनों लोग गिर गये एवं बेहोश हो गये।

7. साक्षी संजय नागले अ.सा.1 ने कहा है कि एक्सीडेंट में उसका दाहिना पैर टूट गया था, बाया पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, उसके

पिता का दाहिना पैर स्थाई रूप से खराब हो गया था जिसे काटना पड़ा। उसके माँ की कमर टूट गयी थी। उसका पादर एवं जिला चिकित्सालय बैतूल में चिकित्सीय परीक्षण एवं एक्स-रे हुआ था। आहतगण को आयी चोट के संबंध में इसी प्रकार का कथन साक्षी नान्हू अ.सा.2 और लक्ष्मी बाई अ.सा. 3 ने भी किया है।

8. प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में आहतगण के कथन अखंडित रहे हैं।

9. अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी डॉ.एन.आर.पाढ़ी अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अभिकथित किया है कि वह दिनांक 24.04.13 को बैतूल फ्रेक्चर हास्पिटल में अस्थिरोग सर्जन के रूप में कार्यरत था। उक्त दिनांक को सुबह 11.00 बजे संजू नागले पिता नान्हू नागले उम्र 22 वर्ष, निवासी कुटखेड़ी का ईलाज हेतु अस्पताल में लाया गया था। उसने परीक्षण एवं एक्सरे परीक्षण के उपरांत आहत संजू नागले के दाहिने पैर में अस्थिभंग एवं खुला हुआ घाव पाया था उसके बांये पैर में भी अस्थिभंग पायी गयी थी। आहत को आयी चोट गंभीर प्रकृति की थी उसके द्वारा इस संबंध में दी गयी रिपोर्ट प्र.पी.6 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

10. इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि इसी दिनांक को नान्हू नागले का भी परीक्षण किया था जिसमें उसका दाया पैर घुटने के नीचे बूरी तरह से कुचल गया था, जिसके लिए उसका ऑपरेशन कर उसका दाया पैर काट दिया गया था, चोट की प्रकृति घातक थी इस संबंध में उसकी रिपोर्ट प्रपी.5 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

11. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आहतगण का प्रारंभिक ईलाज नहीं किया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आहत स्वयं की गलती से किसी वाहन से टकरा जाये तो इस प्रकार की

चोट आ सकती है।

12. अभियोजन की ओर से दूसरे चिकित्सीय साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी डॉ.बी0पी0चौरिया असा.9 ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि उसने दिनांक 28.05.13 को आहत लक्ष्मी बाई पति नान्हू नागले का परीक्षण का ईलाज किया था, उसके दोनों तरफ की पैलविक हड्डी के दोनों रेमाईका फ्रेक्चर हुआ था, उसके ईलाज की पर्ची प्र. पी.7 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में उसने लक्ष्मी बाई का एक्स-रे परीक्षण किया था। एक्स-रे परीक्षण प्र.पी.8 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आयी चोट गिरने से या वजनदार चीज कमर पर गिरने से आ सकती है।

13. उपरोक्त साक्ष्य से मेरे समक्ष यह तथ्य आये हैं कि घटना दिनांक 24.04.13 को मलकापुर एवं किल्लोद के बीच में रोड पर जीप एवं मोटर सायकल के टकराने से हुई दुर्घटना में आहतगण संजय नागले असा. 1, नान्हू अ.सा.2 एवं लक्ष्मी बाई अ.सा.3 को चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में आहतगण के कथन अखंडित रहे हैं। आहतगण को आई चोट के संबंध में आहतगण के न्यायालयीन साक्ष्य का समर्थन, चिकित्सीय साक्षीगण आर0एन0 पाढ़ी अ.सा.8 एवं डॉ.बी.पी.चौरिया अ.सा.9 ने भी किया है और इस संबंध में इन साक्षीगण के कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित भी रहे हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वयं बचाव पक्ष ने चिकित्सक साक्षी आर.एन. पाढ़ी को यह सुझाव देकर स्वीकार किया है कि आहतगण को आई चोट किसी वाहन से टकराये जाने पर आ सकती है। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष ने आहतगण को आई चोट वाहन से टकराये जाने पर आना स्वीकार किया है। यद्यपि आहत लक्ष्मी बाई को आई चोट के संबंध में चिकित्सीय साक्षी बी.पी.चौरिया अ.सा.9 ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव में यह स्वीकार किया है कि आहत

लक्ष्मी बाई को आई चोट गिरने से या कोई वजनदार चीज कमर पर गिरने से आ सकती है, किन्तु बचाव पक्ष ने आहत लक्ष्मी बाई को चोट गिरने से या उसके कमर पर वजनदार चीज गिरने से आयी थी, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी बचाव पक्ष ने आहतगण को आई चोटों से विनिर्दिष्ट रूप से इंकार नहीं किया है। अतएव यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 23.04.13 को कथित घटना स्थल पर जीप एवं मोटर सायकल के टकराये जाने पर घटित दुर्घटना में चोट आई थी, जो उनके शरीर पर मौजूद थी।

14. अभियोजन आहत साक्षीगण संजय नागले अ.सा.1, नान्हूं अ.सा.2, लक्ष्मी बाई अ.सा.3 ने अभियुक्त केदारनाथ को पहचानने से इंकार किया है। आहत संजय अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य की कंडिका क्र. 1 में अभिकथित किया है कि टक्कर लगने से वे तीनों नीचे गिर गये थे बेहोश हो गये थे और उन्हें पाठर में होश आया था। इसी प्रकार का कथन अन्य आहतगण नान्हूं अ.सा.2 एवं लक्ष्मी बाई अ.सा.3 ने भी किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी संजय नागले अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र.5 में यह अभिकथित किया है कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखाई गयी। घटना की रिपोर्ट किसने लिखाई थी वह नहीं बता सकता। घटना के दो दिन तक उसे होश नहीं आया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह भी अभिकथित किया है कि उसे घटना स्थल के आसपास वाले लोगों ने बताया था कि जीप को केदारनाथ चला रहा था। उसने उक्त बात पुलिस को बयान देते समय बता दिया था। यदि उक्त बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। आगे यह भी अभिकथित किया है कि वह आज दिनांक तक उसे जीप का नंबर नहीं मालूम है। कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.डी-1 का कथन उसे पढ़कर नहीं बताया था।

15. अभियोजन साक्षी नान्हूं अ.सा.2 ने भी अपने न्यायालयीन

साक्ष्य में अभिकथित किया है कि उसे बाद में पता चला था कि जीप को केदारनाथ चला रहा था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह भी अभिकथित किया है कि वह आज जीप का नंबर नहीं बता सकता। पुलिस ने उससे कोई पुछताछ नहीं की थी। उसे घटना के पांच दिन बात होश आया था। कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उसे बाद में पता चला था कि जीप को केदारनाथ चला रहा था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र. 5 में स्वीकार किया है कि उससे पुलिस ने कोई पुछताछ नहीं की थी।

16. अभियोजन की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी राजू सिंह अ.सा. 4, पंढरी अ.सा. 5 एवं रमेश अ.सा.6 ने अभियुक्त केदारनाथ को पहचानने से इंकार किया है और एक्सीडेंट उनके सामने नहीं होना अभिकथित किया है।

17. अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन ने इन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर कूटपरीक्षित किया। कूटपरीक्षण में भी इन साक्षीगणों ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया। प्रतिपरीक्षण में इन साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि घटना होते उन्होंने नहीं देखी है, उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

18. उपरोक्त साक्ष्य से मेरे समक्ष यह तथ्य आये हैं कि स्वयं आहतगण ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियुक्त केदारनाथ को पहचानने से इंकार करते हुए प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त केदारनाथ ही वाहन चला रहा था के संबंध में स्पष्ट अभिकथन नहीं किया है। आहतगण ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि उन्हें आसपास के लोगों ने प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त केदारनाथ वाहन चला रहा था बताया था, किन्तु इन साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में किन लोगों ने प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त केदारनाथ वाहन चला रहा था, के संबंध में बताया था कोई नाम या स्पष्ट अभिकथन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से

परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षी ने भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करते हुए, अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हुए कथित घटना उनके समक्ष होने से इंकार किया है।

19. इस प्रकार प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त केदारनाथ ने कथित वाहन चलाकर प्रश्नगत दुर्घटना कारित की थी, के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

20. अभियोजन कथा के अनुसार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी.1 आहत संजय द्वारा लेख कराना बताया गया है, किन्तु स्वयं साक्षी आहत संजय असा.1 ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य की प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह अभिकथित किया है कि उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई थी घटना की रिपोर्ट किसने लिखाई थी वह नहीं बता सकता। वह अस्पताल में घटना से दो दिन तक बेहोश रहा था। इस प्रकार स्वयं आहत संजय अ.सा. 1 ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। अतः इस संबंध में अभियोजन कथा संदेहास्पद प्रतीत होती है।

21. अभियोजन की ओर से नुकसानी पंचनामा प्र.पी.2 के साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी लच्छू अ.सा.7 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

इसलिए इस संबंध में अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

22. उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर मेरे समक्ष यह तथ्य आये हैं कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण आहतगण ने अभियुक्त केदारनाथ को पहचानने से इंकार करते हुए प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त केदारनाथ प्रश्नगत वाहन चला रहा था के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इन साक्षीगणों ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर के संबंध कोई अभिकथन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी

साक्षी के तौर पर अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। प्रश्नगत् घटना दिनांक को अभियुक्त केदारनाथ ने प्रश्नगत् वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहतगण को टक्कर मारकर कथित दुर्घटना कारित की थी। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, तब अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

23. उपरोक्त समस्त विवेचन के निष्कर्ष से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त केदारनाथ ने दिनांक 23.04.2013 को शाम 07:00 बजे करीब मलकापुर एवं किल्लोद के बीच रास्ते पर आमलारोड में महेन्द्रा जीप क्रमांक एम.पी.-48 डी.-0154 को चालक होते हुये उक्त जीप को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर आहत संजय, नान्दू, लक्ष्मी की मोटर सायकल को टक्कर मारकर उन्हें गिराकर स्वैच्छया घोर उपहति कारित की। अतः **अभियुक्त केदारनाथ** पिता कहू, उम्र 35 साल, निवासी सुभाष वार्ड हमलापुर बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0) को **धारा 279,338(तीन बार) भा0दं0वि0** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

24. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. अभियुक्त के संबंध में धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण-पत्र तैयार कर पृथक से संलग्न किया जावे।

26. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रं0 एम0पी0 28/सी0 3142 मय मूल दस्तावेज के न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व से ही आवेदिका/सुपुर्ददार श्री विजय पिता सावन्या साहू उम्र निवासी झल्लार तहसील भैंसदेही जिला बैतूल के सुपुर्दनामे पर है। अतः अपील अवधि पश्चात् इसे उन्मोचित समझा

जाये एवं अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनोक्त कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(धर्मेन्द्र खण्डायत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

आमला, दिनोक्त : 13/06/20

(धर्मेन्द्र खण्डायत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)